

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई ममपमनई
दिल्ली-110025
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आईडी : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / लोनिवि / 1331/10

दिनांक 22/07/2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
सि.भ.अ.मंडल एम-423,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली

विषय: कार्य का निरीक्षण – Inspection Note.

कार्य का नाम : C/o 22 Nos. Additional class rooms, 25 Nos. Toilet, 5 Nos. Ramp in D.O.E.
schools including EI. and fans.

एजेंसी : M/s Ranjit Construction Co.

करार संख्या: 111/EE M-423/2013-14

उपरोक्त कार्य में जिसमें 13 स्कूलों में कार्य किया जाना है जिनमें से 8 स्कूल एम-423 में है और 5 स्कूल एम-422 में है । कल दिनांक 21.07.2014 को एम-423 के भोगल जंगपुरा स्कूल में कार्य का निरीक्षण किया गया । कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा ठेकेदार कार्यस्थल पर उपलब्ध थे । निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्वाइंट नोट किए गए :-

1. स्वीकृत अनुमान के अनुसार इस स्कूल में 4 क्लासरूम तथा 2 शौचालयों का निर्माण होना है परन्तु सराय काले खों में कार्यस्थल उपलब्ध न होने के कारण कार्यपालक अभियन्ता ने बताया कि इनका कार्य इसी स्कूल में करवाया जा रहा है क्योंकि इसके लिखित आदेश सर्वशिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए है ।
2. इस स्कूल में क्लासरूम का कार्य छत के लेवल पर है तथा शौचालय का कार्य प्लीथ लेवल पर प्रगति पर है ।
3. ईंटों की जो चिनाई की गई है उसमें अनेक स्थानों पर ज्वाइंट की Racking नहीं की गई है तथा आर.सी.सी. में भी अनेक स्थानों पर Hacking नहीं की गई ।
4. छत में इस्तेमाल किये जाने वाला गार्डर तथा एंगल आयरन में जंग लगी हुई है और उन्हे बगैर साफ किए हुए प्राईमर किया जा रहा था । जो प्राईमर कार्य में प्रयोग किया जा रहा है वह भी अनुबन्ध में दर्शाये गए ब्राण्ड का नहीं है ।

5. कार्यस्थल पर चिनाई के लिए सीमेंट का मसाला बनाने के लिए माप-बॉक्स उपलब्ध नहीं था और मसाला अंदाजे के अनुसार अथवा टोकरियों से माप कर बनाया जा रहा है। यह भी देखा गया कि मसाला बहुत अधिक मात्रा में बनाया जा रहा है जिसको प्रयोग करने में बहुत अधिक समय लगता है जिसके कारा सीमेंट की initial setting के बाद मसाले की मजबूती पर असर पड़ता है।
6. कार्यस्थल पर उपलब्ध लाल पत्थर जिनका इस्तोमाल छत में किया जाना है वह भी करार के निर्देशों के अनुसार नहीं है। पत्थर की सतह असमान है तथा पत्थर के किनारे विनिर्देश के अनुसार उचित नहीं है तथा अनेक पत्थर काफी सफेद रंग के हैं।
7. कार्यस्थल पर साईट रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि सामग्री टेस्ट रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई जबकि कुछ टेस्ट प्राइवेट लेब से कराये गये हैं, ये नमूने किसकी उपस्थिति में लिए गए और उनको रजिस्टर में क्यों नहीं रिकार्ड किया गया। कार्यपालक अभियंता इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दें।
8. कार्यस्थल पर यह भी देखा गया कि जो सामग्री के टेस्ट कार्यस्थल पर बनायी गई लैब में करने हैं इनमें से किसी भी टेस्ट की प्रविष्टि सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता इस विषय में बिल्कुल गंभीर नहीं हैं।
9. कार्य के अडचन रजिस्टर को देखने से यह प्रतीत होता है कि कार्य करने में विभाग की ओर से कोई अडचन नहीं है।
10. कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दर्शायी गई त्रुटियों को शीघ्र दूर करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में कार्यस्थल पुस्तिका में आदेश दें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की त्रुटियाँ इस स्कूल के कार्य में तथा अन्य स्कूल के कार्यों में पुनः न की जाये। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह सामग्री टेस्ट रजिस्टर को स्वयं रिव्यू करें और सुनिश्चित करें कि करार की धाराओं के अनुसार सामग्री टेस्ट के लिए कार्यस्थल पर equipments उपलब्ध हो। कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के नमूने करार की धाराओं के अनुसार कार्य में प्रयोग करने से पहले अनुमोदित करें तथा अद्योहस्ताक्षरी को भी दिखाये।

2
22/7/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25